

वकील अपीलाट - + 8-दीरा 86/07

दिनांक

अज्ञा पत्र

6.12.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेसपो.उपस्थित
पीठारसीन अधिकारी महोदय आज... 8.0.21...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक... 12.12.22
को पेश हो।

12.12.22

पत्रावली प्रस्तुत आंभेभाषक सघ न आज
न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व
दिनांक 9.2.23 को पेश हो

9.2.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को हिदायत दी जाती है
कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड आज शामिल पत्रावली
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली पूर्व में वकील
... 13.2.23 को पेश हो। पत्रावली पूर्व में वकील
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।

13.2.23

पत्रावली पेश। वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलाट ने रेसपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये है इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर न्याय
से काम होकर बाद तारीख तकमाल दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर (कैम्प बुन्दन)